मेकिंग मध्यप्रदेश कब बनेगा : उमंग

सीएम के व्यक्तव्य पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 अगस्त. विधान सभा में महानगरक्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वक्तव्य पर गंभीर सवाल खड़े किए.

उन्होंने पूछा कि मेकिंग मध्यप्रदेश, की बात तो हो रही है, लेकिन इसका स्वरूप कब और कैसे साकार होगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि करोड़ों का निवेश आया, लेकिन यह कब और कहां आया -यह जनता को समझ में नहीं आया.

सिंघार ने कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा नही दे पा रही. सरकार कहती है कि 120 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं. तो उद्योगपतियों को क्यों नहीं कहा जाता कि वे स्वयं बुनियादी ढांचा तैयार करें? उन्होंने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र की तरह मध्यप्रदेश में भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की संकल्पना पर काम होना चाहिए और जरूरत पड़े तो सरकार अनुदान दे. सिंघार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया. उन्होंने कहा कि जिसे सरकार आकांक्षी युवा कहती है, उसे रोजगार कैसे मिलेगा? उन्होंने बताया कि प्रदेश प्याज उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन निर्यात नहीं हो पा रहा. क्या इसके लिए प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगाई जा सकतीं?

उन्होंने इंदौर के सांवेर औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पहले 500 से अधिक इकाइयां थीं, आज वहां केवल 100 बची हैं. उन्होंने कहा जमीनी स्तर पर कंपनियों को कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा. सिंघार ने कहा कि सरकार आईटी सेक्टर की बात तो करती है, लेकिन आईटी कंपनियां मध्यप्रदेश नहीं आ रहीं. बड़ी कंपनियां लगातार बंद हो रही हैं. टूरिज्म सेक्टर में गिरावट है और पर्यावरण से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने मेडिकल टूरिज्म पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, तो यह कौन सा मेडिकल टूरिज्म है जिसकी बात सरकार कर रही है. सिंघार ने कहा कि सरकार जनता के पैसों से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, लेकिन इसका लाभ न जनता को मिल रहा है, न किसानों को और न ही उद्योगों को मजबूती मिल रही है. सरकार को अपनी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए और धरातल पर काम करके दिखाना चाहिए.

सोलर पंप स्थापना में पूर्ण सहयोग करें

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसानों के खेतों पर कुसुम योजना के तहत विभिन्न प्रावधानों का किसानों को लाभ दिलवाते हुए सोलर पंप स्थापना में पूर्ण सहयोग किया जाए. इसके लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय से कार्य कर लक्ष्य पूर्ण करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए.बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष सोलर पंप स्थापित करने का अभियान प्रारंभ हो चुका है. इस कार्य की प्रगति की मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विस्तार पूर्वक समीक्षा की. बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में आगामी वर्ष तक 10 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे. चरणबद्ध रूप से यह कार्य किया जा रहा है. किसानों को खेतों में सोलर पंप की स्थापना से जहां सामान्य बिजली के उपयोग पर होने वाले अत्यधिक व्यय से मुक्ति मिलेगी वहीं इस नवाचार से अन्य किसान भी प्रेरित होंगे. यह कार्य प्रदेश में गति प्राप्त करेगा. इसके लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे. आने वाले समय में यह भी संभव होगा कि किसान उत्पादित ऊर्जा का विक्रय कर सकेंगे.

एक नजर में

पूर्व राज्यपाल के निधन पर शुक्ल ने जताया शोक

भोपाल. पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ राजनेता सत्यपाल मलिक के निधन पर मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मलिक जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. शुक्ल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों एवं अनुयायियों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की कामना की.

मृतक राजा रघुवंशी के भाई पर एक महिला ने लगाए गंभीर आरोप

- बच्चा लेकर पहुंची सचिन रघुवंशी के घर
- महिला ने किया शादी का दावा
- डीएनए टेस्ट की पुष्टि और कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. मृतक राजा रघुवंशी के परिवार के सामने एक और विवाद खड़ा हो है. राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी पर एक महिला ने शादी का दावा करते हुए उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला मंगलवार दोपहर अपने डेढ़ साल के बेटे को लेकर सचिन के निवास पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया.

सबूत कोर्ट में पेश किए हैं

महिला का कहना है कि उसने शादी के वीडियो और मंदिर में हुए धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण कोर्ट में पेश किए हैं. उसे उम्मीद है कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय देगा और उसे उसका हक मिलेगा. दूसरी ओर, सचिन रघुवंशी ने महिला के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि यह सब उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश है और मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है.

महिला का कहना है कि उसकी शादी सचिन रघुवंशी से मंदिर में विधिपूर्वक हुई थी, जिसका वीडियो और अन्य प्रमाण उसके पास मौजूद हैं. उसने दावा किया कि बच्चे का डीएनए टेस्ट भी सचिन से मेल खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद रघुवंशी परिवार उसे और बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा. महिला का कहना है कि जब वह सचिन के घर पहुंची तो सचिन की मां ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और सचिन वहां से वाहन में बैठकर निकल गया. मैंने बाहर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका. महिला ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उसने अब तक कई बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिली. अगर सचिन ने विवाह को स्वीकार कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई होती, तो ऐसी स्थिति नहीं आती. महिला ने आरोप लगाया कि सचिन और उसके परिजनों ने उसे और उसके बच्चे को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश की है. वह चाहती है कि सचिन न सिर्फ पिता की जिम्मेदारी निभाए, बल्कि विवाह को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे.

डीपीएम की फर्जी नियुक्ति के मामले में विपक्ष का वाकआउट

ध्यानाकर्षण के दौरान उठा मामला

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 अगस्त. जबलपुर में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक डीपीएम की नियुक्ति का मामला सदन में प्रमुखता से उठा. ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने डीपीएम की नियुक्ति में फर्जी मार्कशीट का सहारा लेने का आरोप लगाया और व्यक्ति को पद से हटाने के साथ ही जांच कराने की मांग की.

लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जांच की मांग को यह कहकर इंकार कर दिया कि पहले गठित जांच कमेटी ने 12वीं की मार्कशीट को फर्जी नहीं माना, वहीं अभी राज्य स्तरीय जांच चल रही है. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं, मंत्री उसे ही सही मान लेते हैं और विधायक की बात को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिये ही विधानसभा की गरिमा कम हो रही है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच करानी पड़ेगी. उनका साथ विपक्ष के दूसरे सदस्यों ने भी दिया और सदन में दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगे. अब उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कोई आश्वासन नहीं दिया तो विपक्ष ने वाकआउट कर दिया.

कांग्रेस सदस्य लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण की सूचना के माध्यम से कहा कि सीएमओ जिला जबलपुर के 9 जनवरी 2008 के आदेश द्वारा विजय पाण्डेय की डाटा असिस्टेंट टीकाकरण संविदा पद की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है. उनकी हायर सेकेण्डरी की अंकसूची फर्जी है. उन्होंने कहा कि बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन सिक्स सेमेस्टर डिग्री कोर्स परीक्षा 2017 में तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क पीजी डिग्री कोर्स परीक्षा 2021 में फर्जी रूप से धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रभारी डीपीएम के पद पर जबलपुर में दिसंबर 2021 को पदस्थ कर दिया गया. उप मुख्यमंत्री ने पूर्व में तारांकित प्रश्न के जवाब में भी पाण्डेय को प्रभारी डीपीएम के पद से हटाने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन वे अब तक इस पद पर बने हुए हैं.

आश्वासन के बाद भी न हटाना ये सदन का अपमान

इस पर विपक्ष के अजय सिंह ने कहा कि आश्वासन के बाद भी न हटाना ये सदन का अपमान है, लगता है कि मंत्रीजी की विशेष कृपा है. उन्होंने उस व्यक्ति को पद से हटाने और समय-सीमा में जांच कराने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फर्जी जानकारी सदन के पटल पर आ गई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, इसी कारण विधानसभा की गरिमा गिर रही है. उनका साथ विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी दिया, वे अपनी सीटों से खड़े हो गये और दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे. नेता प्रतिपक्ष की मांग भी जब अनसुनी कर दी गई तो विपक्ष ने वाकआउट कर दिया.

गरज के साथ होगी मूसलाधार बारिश

एक दर्जन जिलों में येलो अलर्ट

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 05 अगस्त. मप्र के भिंड, मुरैना, श्योरपुर सहित जिलों में बुधवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है.

प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. ग्वालियर, दतिया, आगर, मंदसौर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सहित जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं. इस दौरान 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

प्रदेश के जिलों में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा. सिंगरौली, सीधी, रीवा, बालाघाट, पन्ना, खरगौन, सिहोर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, अनुपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मऊगंज, सतना सहित जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वर्तमान में मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर अमृतसर, चंडीगढ़, शामली, शाहजहाँपुर, लखनऊ, छपरा, बांकुरा, कैनिंग से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है. एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पश्चिम बिहार और उससे निकटवर्ती उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है और ऊँचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकते हुए माध्य समुद्र तल से 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तरी गुजरात और उससे निकटवर्ती दक्षिण राजस्थान पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है.

पिता ने नशेड़ी बेटी की मोगरी मारकर कर दी हत्या

- रोज के लड़ाई-झगड़ों से तंग थे माता-पिता

नव भारत न्यूज

इंदौर. गोलू रोज झगड़ता था... कभी मां को धक्का देता, कभी मोहल्ले में गाली-गलौज करता. पर किसे पता था कि उसका खुद का बाप एक दिन उसका सिर फोड़ कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा. ये कहना है अंबिकापुरी मेन में रहने वाले एक रहवासी का, जहां मंगलवार शाम एक पिता ने तंग आकर अपने बेटे की मोगरी से हत्या कर दी.

यह दृश्य दिल दहला देने वाला था. मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे, गली में शोर मचा गोलू को कुछ हो गया... जब लोग दौड़कर घर पहुंचे तो 23 वर्षीय गोलू भावसार खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और पिता सतीश भावसार कुछ पल पहले ही हाथ में मोगरी लिए कांपते खड़े थे. रहवासियों ने बताया कि गोलू नशे का आदी था और हर रोज मोहल्ले में हंगामा करता था. पड़ोसी राजू भोंसले ने बताया कि बीते छह महीनों से रोज़ गोलू की चीखें सुनते थे, मां-बाप दोनों बहुत दुखी रहते थे, कई बार मोहल्लेवालों ने भी समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं सुधरा. मंगलवार को भी गोलू नशे की हालत में घर लौटा और पैसे की मांग को लेकर मां-बाप से झगड़ पड़ा. सतीश ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब गोलू हाथापाई पर उतर आया, तो उन्होंने पास रखी मोगरी उठाई और बेटे के सिर पर दे मारी. नाम न छापने की शर्त पर एक पड़ोसी ने बताया, पहला वार होते ही गोलू गिर पड़ा, लेकिन गुस्से में सतीश ने एक और वार कर दिया. वारदात के समय घर के भीतर मौजूद गोलू की मां पूरी घटना देखती रही, परंतु कुछ नहीं कर सकी. शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एरोड्रम थाना प्रभारी वरुण सिंह भाटी दल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया, घटना में उपयोग मोगरी जब्त कर ली गई है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बेटे की आदतों से तंग आकर हत्या की बात आरोपी ने कबूली है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से खून के सैंपल, मोगरी और अन्य जरूरी सबूत जब्त किए.

डेढ़ साल पहले पत्नी ने छोड़ा

पुलिस जांच में सामने आया है कि गोलू की पत्नी उसे करीब डेढ़ साल पहले छोड़ चुकी थी. वह घर में आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था. मोहल्लेवालों का यह भी कहना है कि सतीश और उसकी पत्नी बहुत सीधे लोग हैं, पर बेटे ने उनका जीना मुहाल कर दिया था.

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र को पुष्पांजलि

- श्रद्धेय मिश्र का योगदान सदैव रहेगा स्मरणीय

भोपाल, 5 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में पंडित मिश्र का योगदान अविस्मरणीय है.

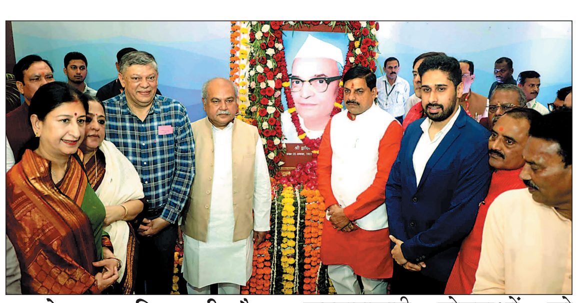

उन्हें राजनीति का पंडित कहा जाता था, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व करते हुए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को इस परंपरा की शुरुआत के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को पुष्पांजलि अर्पित करने की परंपरा से प्रदेश के उन महान नेताओं के कार्यों को याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने समय में जनसेवा को सर्वोपरि रखा. अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह सिंघार और मंत्री परिषद् के कई सदस्य उपस्थित रहे.

खत्म हुआ इंतजार, फ्रीगंज ब्रिज का शुरू होगा निर्माण

- भोपाल से लेकर रेलवे तक की मिली स्वीकृतियां
- सेतु निगम ने बनाई ड्राइंग डिजाइन
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया था भूमि पूजन

उज्जैन. अंग्रेजों के जमाने में 100 साल पहले बने फ्रीगंज ओवरब्रिज की नई शाखा का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 12 दिसंबर 2024 को कर चुके हैं, पुराने ब्रिज के समांतर ब्रिज का निर्माण अब जल्द ही शुरू होगा. भोपाल से लेकर रेलवे तक की सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई है.

नवभारत से चर्चा में सेतु निगम के कार्यपालन यंत्री पीएस पंत ने बताया कि थोड़े समय के लिए जो गतिरोध था वह दूर हो गया है और अब निर्माण कार्य प्रारंभ होगा. इसके लिए ड्राइंग डिजाइन भी फाइनल कर दी गई है.

पहले 91 करोड़ अब 58 करोड़

जब इसका भूमि पूजन किया गया था तो रीजन ब्रिज के निर्माण लागत 91 करोड़ रुपए बताई गई थी, अब 58.13 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने के दावे किए गए हैं.

24 महीनों में निर्माण करने का लक्ष्य

फ्रीगंज का नया ब्रिज सेतु विभाग की देखरेख में बनाया जाएगा. 24 माह में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है. कार्यपालन अभियंता पीएस पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में ही साइट क्लियर करवा दी गई थी, नए ठेकेदार से बातचीत के बाद अब काम शुरू कर दिया जाएगा.

चामुंडा चौराहे से फ्रीगंज को जोड़ेगा

फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज का भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जब किया था तो इसे सिंहस्थ के मद्देनजर मिल का पत्थर बताया था. साथ ही प्रस्तावित लेआउट का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे. यह ब्रिज चामुंडा चौराहे से फ्रीगंज को जोड़ेगा ब्रिज की लंबाई 633 मीटर और चौड़ाई 21.40 मीटर होगी. यातायात के लिए 9-9 मीटर चौड़े काजवे, 1.5-1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ और 0.4 मीटर का डिवाइडर होगा.

रेलवे ने दी अनुमति बनाएंगे हम

भोपाल में स्वीकृति के लिए फाइल गई थी, जहां से क्लियर हो चुका है कि कोई आपत्ति नहीं है ,इधर रेलवे से भी अनुमति प्राप्त हो गई है, रेलवे का हिस्सा भी सेतु निगम के माध्यम से ही ठेका कंपनी बनाएगी एक-दो दिन में काम शुरू हो जाएगा.

- पीएस पंत, कार्यपालन यंत्री, सेतु निगम

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2025/24 दिनांक: 06.08.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद

शुद्धिपत्र-1

विषय:- निविदा संख्या: DY.CSTE/C-I/ADI/2025-26/118

उपरोक्त निविदा 20.08.2025 को खोली जाएगी और समाचार पत्र एवं पश्चिम रेलवे की वेबसाइट: **www.ireps.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी। निविदा दस्तावेज़ में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं।संशोधित मूल्य:-

क्रमांक	निविदा दस्तावेज़ के अनुसार	मौजूदा मूल्य	संशोधित मूल्य
1	विज्ञापित मूल्य (INR)	₹36,48,34,286/-	₹28,91,15,852/-
2	बयाना राशि (INR)	₹19,74,200/-	₹ 15,95,600/-

शुद्धिपत्र एनआईटी एवं दस्तावेज निविदा **http://www.wr.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है तथा अन्य शर्तें समान रहेंगी। CPM042

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

Repco Home Finance

इंदौर शाखा: नं.9/1/2, खंडेलवाल मोटर बिल्डिंग, 101, प्रथम तल, इंदौर - 452001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री जबकि **उधारकर्ता: श्रीमती अनीता पाटीदार, पत्नी श्री कृष्ण पाटीदार, सह-उधारकर्ता: श्री कृष्ण पाटीदार, पुत्र श्री कुंवरजी पाटीदार, गारंटर: श्री राकेश गुर्जर, पुत्र श्री हीरालाल गुर्जर** ने रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड, इंदौर शाखा से अचल संपत्ति के बंधक के विरुद्ध धन उधार लिया है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है। कंपनी ने 17.08.2019 को रअफ्रक्षअएरकअधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें नोटिस में उल्लिखित राशि, ऋण खाता संख्या 1991860000080 के माध्यम से 17.08.2019 तक 10,99,555/- रुपये, को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित चुकाने के लिए कहा है।

चूँकि ऋणी एवं सह-ऋणी उक्त माँग नोटिस में उल्लिखित कंपनी को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः कंपनी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत 01.12.2020 को नीचे दी गई अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा ले लिया है।

चूँकि ऋणी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः सुरक्षित ऋणदाता, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड ने कंपनी को देय ऋणों की वसूली हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी है जहाँ है" और "जैसी है जैसी है" के अंतर्गत नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है। ऋण खाता संख्या 1991860000080 के अनुसार ऋणी की देय राशि 29.07.2025 तक **रू. 24,89,610/-** थी।

ई-नीलामी की तिथि/समय: 16.09.2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच (5 मिनट के असीमित स्वत: विस्तार के साथ)

ई-निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 15.09.2025, शाम 4:00 बजे

संपत्ति का विवरण: भूखंड संख्या 106, रामजी वाटिका-II, ग्राम मिजार्पुर, तहसील व जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निर्मित भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा और टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल - 400.00 वर्ग फुट और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में: भूखंड संख्या 89, पश्चिम दिशा में: कॉलोनी रोड, उत्तर दिशा में: भूखंड संख्या 105, दक्षिण दिशा में: भूखंड संख्या 106 का शेष भाग।

आरक्षित मूल्य	(आरक्षित मूल्य का 10%) ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि
₹14,40,000/-	₹1,44,000/-	₹ 25,000/-

ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए, कृपया मेसर्स 4 क्लोजर, श्री एम. किरणमई -8142000066/8142000062 से संपर्क करें। संपत्ति के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड, इंदौर शाखा के शाखा प्रमुख से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। संपर्क संख्या: (0731) 2520522 और 88788 88540

दिनांक: 31.07.2025 अधिकृत अधिकारी, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **(1) सिकंदर सिंह पुत्र** बचपन सिंह **निवासी** 761, आकाश नगर, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.), **(2) संदीप सिंह पुत्र** सुनार सिंह **निवासी** 583, आकाश नगर, विजय नगर, इंदौर, (म.प्र.), ने **FIR No. 332/2022, U/S 392/34 IPC, पुलिस स्टेशन मानसरोवर पार्क, शाहदरा जिला, दिल्ली,** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होने किया है) और उन पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मिल नहीं रहे है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त फरार हो गये है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 332/2022, U/S 392/34 IPC, पुलिस स्टेशन मानसरोवर पार्क, शाहदरा जिला, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **(1) सिकंदर सिंह (2) संदीप सिंह** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **27.10.2025** को या इससे पहले हाज़िर हो।

आदेशानुसार

सुश्री ऐश्वर्या सिंह कश्यप

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-06,

शाहदरा जिला, प्रथम तल, कमरा नं0-25

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

DP/10245/SHD/2025 (Court Matter)

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60